फर्द अहकाम

पुष्पा देवी व अन्य बनाम रियासत इन्फ्रा डवलपर्स व अन्य

पत्र संख्याः 154/2025

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
06.06.2025	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉ पेश की है। वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण का जवाब आने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम वाटिका, पटवार हल्का वाटिका, भू-अभि.निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसर नम्बरान 1574, 1595, 1598, 1599, 1600, 7352/1596, 7354/1597, 7356/1601, 7358/1602 कुल किता 9 कुल रकबा 4.4650 है0 में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस डाक रसीद पेश नही करने व जवाब आने तक उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 11/7/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 3767-3768 12/6/25
11/7/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/7/25 को पेश हो।	
25/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। न्यायालय समय में वकील प्रार्थी को बार बार आवाजें लगवाई गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	